

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)

मुकदमा संख्या :- 424/2023

01. देवा पुत्र नौला रेगार निवासी धुवांसा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
प्रार्थी.....

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार सा० करेडा जिला भीलवाडा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 19/12/23

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि ग्राम धुवांसा पटवार हल्का धुवांसा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त
खातों की खाता संख्या 137 आराजी नम्बर 440, 441, 442, 443

कुलकिता 04 रकबा 0.7588 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त
भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न
होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 9/10/2023 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने
का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का
अदंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक
न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....
धुवांसा पटवार हल्का धुवांसा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 137
आराजी नम्बर 440, 441, 442, 443

कुलकिता 04 रकबा 0.7588 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की
पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक को 500
/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे।
कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये
मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा